न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 190/2012

1 भगवती प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामजीलाल उम्र 89 साल जाति वैध ब्राह्मण निवासी मोरी गेट लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल आबाद नेवरी रोड़ विकास विधालय के समीप, थाना सदर जिला रांची (झारखण्ड) (मृतक के वारिसान) जरिये मुख्तयार ज्योति कुमार वैध पुत्र भगवती प्रसाद वैध नेवरी रोड़ विकास विद्यालय के समीप थाना सदर जिला रांची (झारखण्ड)।
1/1 सुमित्रा देवी पत्नी स्व.भगवती प्रसाद उम्र लगभग 85 साल
1/2 दीपक पुत्र स्व. भगवती प्रसाद
1/3 ज्योति पुत्र स्व. भगवतीप्रसाद
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण नेवरी रोड़ विकास विद्यालय के समीप थाना सदर जिला रांची (झारखण्ड)।

अपीलांटस

बनाम

1 कैलाश चन्द्र उम्र 41 साल
2 पवन कुमार उम्र 56 साल
3 दिनेश कुमार उम्र 54 साल
4 सज्जन कुमार उम्र 52 साल
पुत्रगण स्व. कन्हैयालाल जाति वैध ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नं. 44 मोरी गेट लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

मृतक वादी के उत्तराधिकारी/रेस्पोडेन्टस

5 औमप्रकाश दत्तक पुत्र स्व. श्री रंगलाल (मृतक)
5/1 श्रीमती विमला धर्मपत्नी ओमप्रकाश
5/2 सुरेश कमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश
5/3 हरिप्रसाद पुत्र ओमप्रकाश
5/4 मनमोहन पुत्र ओमप्रकाश
5/5 गोपी मोहन पुत्र ओमप्रकाश
5/6 सचिन पुत्र ओमप्रकाश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति वैध निवासीगण एसके देवड़ा स्कूल के सामने चुरू रोड़, फतेहपुर जिला सीकर।
6 परसराम पुत्र मोतीलाल (मृतक)
6/1 महेश कुमार पुत्र स्व. परसराम उम्र 66 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6/2 ओमप्रकाश पुत्र परसराम उम्र 58 साल जाति ब्राह्मण निवासी 502 तीर्थो अपार्टमेंट इन्द्रलोक फेस–5 भाइन्दर इस्ट जिला थाना (महाराष्ट्र) 401105
6/3 दीनदयाल पुत्र परसराम उम्र 56 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6/4 नटवरलाल पुत्र परसराम उम्र 55 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6/5 विमला देवी पुत्री परसराम पत्नी सुशील जी निवासी खोत डोगरी दिप्को प्लाजा के सामने विश्वनाथ की चाल मलाड़ (ईस्ट) मुम्बई (मृतका वारिस नामालूम)
6/6 संतोष कुमार पुत्र परसराम उम्र 45 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 महावीर प्रसाद उम्र 76 साल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। मृतक के वारिसान
7/1 उर्मिला पत्नी स्व. महावीर प्रसाद उम्र 70 साल
7/2 शेखर पुत्र स्व. महावीर प्रसाद उम्र 50 साल
7/3 श्यामसुन्दर पुत्र स्व. महावीर प्रसाद उम्र 42 साल
7/4 रवि पुत्र महावीर प्रसाद उम्र 32 साल
7/5 सरोज पुत्री स्व. महावीर प्रसाद उम्र 30 साल
7/6 उषा पुत्री स्व. महावीर प्रसाद उम्र 24 साल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भू–धारक राजस्थान सरकार लक्ष्मणगढ़।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी
अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.03.1997 पारित
द्वारा उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर अ. रेवन्यू वाद संख्या
73/1996 उनवानी कन्हैयालाल बनाम औमप्रकाश आदि
में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध

अपील संख्या 19/2019

1 श्रीमती शंकर देवी उम्र 80 साल धर्मपत्नी गिरधारी लाल
2 शरद कुमार उम्र साल पुत्र गिरधारी लाल
3 सोम कुमार उम्र साल पुत्र गिरधारी लाल
4 वेंकटेश कुमार उम्र साल पुत्र श्रीलाल
समस्त जाति ब्राह्मण वैध निवासीगण वार्ड नं. 29 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर् राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 कैलाश चन्द्र उम्र 41 साल
2 पवन कुमार उम्र 56 साल
3 दिनेश कुमार उम्र 54 साल
4 सज्जन कुमार उम्र 52 साल
पुत्रगण स्व. कन्हैयालाल जाति वैध ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नं. 44 मोरी गेट लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

मृतक वादी के उत्तराधिकारी/रेस्पोडेन्टस

5 औमप्रकाश दत्तक पुत्र स्व. श्री रंगलाल (मृतक)
5/1 श्रीमती विमला धर्मपत्नी ओमप्रकाश
5/2 सुरेश कमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश
5/3 हरिप्रसाद पुत्र ओमप्रकाश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5/4 मनमोहन पुत्र ओमप्रकाश
5/5 गोपी मोहन पुत्र ओमप्रकाश
5/6 सचिन पुत्र ओमप्रकाश
समस्त जाति वैध निवासीगण एसके देवड़ा स्कूल के सामने चुरू रोड़, फतेहपुर जिला सीकर।
6 परसराम पुत्र मोतीलाल (मृतक)
6/1 महेश कुमार पुत्र स्व. परसराम उम्र 66 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6/2 ओमप्रकाश पुत्र परसराम उम्र 58 साल जाति ब्राह्मण निवासी 502 तीर्थो अपार्टमेंट इन्द्रलोक फेस–5 भाइन्दर इस्ट जिला थाना (महारा ट्र) 401105
6/3 दीनदयाल पुत्र परसराम उम्र 56 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6/4 नटवरलाल पुत्र परसराम उम्र 55 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6/5 विमला देवी पुत्री परसराम पत्नी सुशील जी निवासी खोत डोगरी टिप्को प्लाजा के सामने विश्वनाथ की चाल मलाड़ (ईस्ट) मुम्बई (मृतका वारिस नामालूम)
6/6 संतो ा कुमार पुत्र परसराम उम्र 45 साल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 महावीर प्रसाद उम्र 76 साल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। मृतक के वारिसान
7/1 उर्मिला पत्नी स्व. महावीर प्रसाद उम्र 70 साल
7/2 ोखर पुत्र स्व. महावीर प्रसाद उम्र 50 साल
7/3 यामसुन्दर पुत्र स्व. महावीर प्रसाद उम्र 42 साल
7/4 रवि पुत्र महावीर प्रसाद उम्र 32 साल
7/5 सरोज पुत्री स्व. महावीर प्रसाद उम्र 30 साल
7/6 उ ाा पुत्री स्व. महावीर प्रसाद उम्र 24 साल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी जोशीयों की गली वार्ड नं. 29 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भू–धारक राजस्थान सरकार लक्ष्मणगढ़।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी
अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1997
पारित द्वारा उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर अ. रेवन्यू
वाद संख्या 73/1996 उनवानी कन्हैयालाल बनाम
औमप्रकाश आदि में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध

उपस्थिति :

1. श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री अरूण शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 73/1996 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.1997 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट 1 लगायत 4 के पिता कन्हैयालाल ने एक वाद उद्घोषणा व संशोधित खाता बाबत भूमि खसरा नम्बर 478 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व. कन्हैयालाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 द्वारा साजीस रचकर विचारण न्यायालय के समक्ष रेवेन्यू वाद संख्या 73/1996 उनवानी कन्हैयालाल बनाम ओमप्रकाश दिनांक 02.04.1996 को प्रस्तुत कर तत्समय खातेदार सांवरमल पुत्र बालमुकन्द व किशनलाल पुत्र हरदास जो नाऔलाद मृत होना बताकर उनके उत्तराधिकारियों के बारे में अज्ञानता जाहिर करते हुए उक्त दोनों खातेदारों का अविभक्त 1/5–1/5 हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व. कन्हैयालाल ने अपने काश्त व खातेदारी में होने के तथ्य अंकित करते हुए तथा आगे ये अभिकथन करते हुए कि रंगलाल पुत्र ब्रह्मदत नाऔलाद फौत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र गजाधर को उक्त वाद के पक्षकार ने साजिश रचकर रंगलाल का बिना साक्ष्य व प्रमाण के गोद का पुत्र होना बताकर रंगलाल के हिस्से की कृषि भूमि का खातेदार ओमप्रकाश को उद्घोषित किये जाने की उद्घोषणा करते हुए अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें किसी भी पक्षकार के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, सभी पक्षकारों ने साजिस रचकर एकतरफा डिक्री व निर्णय विचारण न्यायालय से प्राप्त किया। खातेदारान सांवरमल, किशनलाल, रंगलाल, नाऔलाद फौत होने की वजह से उनका हिस्सा शेष खातेदार रामजीलाल व नंदलाल में निहित होने के कारण उक्त कृषि भूमि 1/2–1/2 हिस्से में आने के कारण रामजीलाल व नंदलाल का अविभक्त 1/2 हिस्सा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व. कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत मूलवाद में रामजीलाल का एकमात्र उत्तराधिकारी अपने आप को होना दर्शित करते हुए उद्घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जबकि रामजीलाल के अन्य उत्तराधिकारी कन्हैयालाल के अलावा श्रीलाल, महावीरप्रसाद तथा स्वयं अपीलान्ट भगवती प्रसाद तथा एक पुत्र भागौती देवी, रामजीलाल के उत्तराधिकारियों में चले आ रहे है। रामजीलाल के उत्तराधिकारियों की वंशावली अपील में प्रस्तुत की हुई है। इस प्रकार

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रामजीलाल के पांच विधिक उत्तराधिकारी मौजुद होते हुए भी कन्हैयालाल ने अपने आप को एकमात्र उत्तराधिकारी होना दर्शित करके शेष उत्तराधिकारियों जिसमें अपीलान्ट भी शामिल को पक्षकार संयोजित किये बिना, सूचना दिये बिना सार्वजनिक अखबार में प्रकाशित कराये बिना तथा न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चश्पांदगी किये बिना विचाराधीन डिक्री पारित की गई जो आरम्भतः अवैध व शुन्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 बसाजिश मृतक महावीर प्रसाद की पत्नी बिरमी देवी द्वारा अपीलान्ट भगवती प्रसाद की आवासीय संपदा जो कस्बा लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित है, में अवैध रूप से निर्माण कराने की जानकारी होने पर अपीलान्ट जो चलने फिरने में असमर्थ है, ने अपने पुत्र ज्योति कुमार को मुख्तयारनामा देकर 10.07.2012 को रांची से रवाना किया जो 12.07.2012 को लक्ष्मणगढ़ पहुंचा। आवासीय संपदा के बाबत उसकी सरंक्षण हेतु न्यायालय जिला जज सीकर के यहां रेस्पोडेन्ट संख्यसा 1 लगायत 4 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया तथा वहां रूकने पर अपनी कृषि भूमियों को संभालने गया तब पता चला कि कन्हैयालाल के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त कृषि भूमि पर प्रवेश करने से इंकार कर दिया और भूमि को एकमात्र अपने खातेदारी की होना बताकर प्रवेश नहीं करने दिया तक रेवेन्यू रिकार्ड की प्रतिलिपि प्राप्त की नामान्तरण संख्यसा 1698 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के निर्णय व डिक्री के आदेश से खोला गया कि प्रमाणित प्रति दिनांक 18.07.2012 को प्राप्त हुई तथा रिकार्ड रूम सीकर से उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर की निर्णय व डिक्री की नकल 25.07.2012 को प्राप्त होने पर यह अपील विधिवत प्रसतुत कर धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम तथा धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में खातेदार रंगलाल पुत्र ब्रह्मदत को नाऔलाद फौत होना बताकर प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश को रंगलाल की धर्मपत्नी द्वारा गोद का पुत्र लिया होना बताकर उद्घोषणा प्राप्त की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जबकि वास्तविक स्थिति है रंगलाल खातेदार की मृत्य के पूर्व रंगलाल की धर्मपत्नी का स्वर्गवास एक पारिवारिक दुर्घटना में हो चुका है। औमप्रकाश जिसे गोद बताया गया है उसके जन्म से पूर्व 7 साल पूर्व ही रंगलाल की धर्मपत्नी की मृत्य हो चुकी थी। इसलिए औमप्रकाश को उन की मृत्यु के 7 साल बाद पैदा हुआ उसे गोद लिया जाना संभव ही नहीं है। लक्ष्मणगढ़ पालिका निर्वाचक नामावली 1990 वार्ड संख्यसा 2 भाग संख्या 4 के क्रम संख्या 119 से 136 तक अपीलान्ट सहित वंशावली में दर्ज रामजीलाल के वारिसो के नाम अंकित है। भारत सरकार आयकर विभाग पेन कार्ड जिसमें अपीलान्ट व उसके पिता का नाम रामजीलाल अंकित है। निर्वाचन आयोग का मतदान पहचान पत्र जिसमें अपीलान्ट के पिता रामजीलाल वेद के पुत्र के रूप में दर्ज चला आ रहा है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग विशारद का उपाधी प्रमाण पत्र जिसमें रामजीलाल के पुत्र के रूप में भगवती प्रसाद का नाम अंकित है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना का प्रमाण पत्र जिसमें अपीलान्ट भगवती प्रसाद पुत्र रामजीलाल वैद अंकित है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एडमिशन कार्ड जिसमें अपीलान्ट भगवती प्रसाद को रामजीलाल वैद का पुत्र अंकित हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हाई स्कूल का एग्जामिनिशन 1952 का प्रमाण पत्र जिसमें अपीलान्ट को रामजीलाल का पुत्र होना दर्शित किया गया है। न्यायायल अपर जिला जज सीकर के यहां अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 80/13 में 31.10.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सज्जन कुमार पुत्र कन्हैयालाल ने जिरह में स्वीकार किया यह कहना सही है कि कन्हैयालालजी का लड़का हूं, मैरी पिताजी कन्हैयालाल कुल 4 भाई है, जिनका नाम श्रीलाल, महावीर प्रसाद, भगवती प्रसाद (अपीलान्ट), 4 मेरे पिता थे। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ के यहां आवासीय संपदा के बाबत प्रस्तुत दिवानी दावा संख्या 03/2016 उनवानी वैंकटेश वैध बनाम दिनेश कुमार आदि जिसमें इस अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 दिनेश कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के पैरा संख्या 12 में रामजीलाल के अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहित अन्य वारिसों की अवस्थिति स्वीकार की गई। रामजीलाल के उत्तराधिकारियों की वंशावली जो मधुसूदन दायमा पार्षद लक्ष्मणगढ़ द्वारा अभिप्रमाणित है जिसमें भी अपीलान्ट सहित अन्य वारिसान रामजीलाल के होना अभिकथन किया गया है। इस प्रकार रामजीलाल के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों के अवस्थित होते हुए भी विचारण न्यायालय के समक्ष गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता कन्हैयालाल ने अपने आप को एकमात्र रामजीलाल का उत्तराधिकारी होना अभिकथन कर बिना दस्तावेजी साक्ष्य लिये विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया जो निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। धारा 5 के जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसमें आवेदन में वर्णित किसी तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के संबंध में लिखित तर्क के साथ जिन 5 न्यायिक निर्णयों में अपीलान्ट विचारण न्यायालय की प्रकिया के रूप में पक्षकार के रूप में संयोजित थे। इस कारण उक्त न्यायिक नजीर इस अपील पर लागू नहीं होते, क्योंकि इस अपील का अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था। इसलिए उक्त न्यायिक नजीर इस प्रकरण से संबंधित नहीं होने के कारण अमान्य किय जाने योग्य है। एआईआर 2000 सुप्रिम कोर्ट पेज 3143 धारा 5 के संबंध में है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मत अभिव्यक्त किया गया है कि जहां पर अपीलान्ट वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया हो, उसे धारा 5 के तहत अपील में हुए विलम्ब को शपथ पत्र के आधार पर क्षमा किये जाने में उदारता का रूख अपनाना चाहिए। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट 1 लगायत 4 के पिता कन्हैयालाल ने एक वाद उद्घोषणा व संशोधित खाता बाबत भूमि खसरा नम्बर 478 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी डिक्री कर दिया। दोनों अपीले मियाद बाहर होना एक प्रमाणित तथ्य है। आदेश 41 नियम 3 ए के अनुसार अपील पर गुणावगुण पर सुनवाई से पूर्व धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अर्थात मियाद के बिन्दु का निस्तारण आवश्यक है। अपील विलम्ब से पेश करने का संतोषजनक व पर्याप्त कारण नहीं बताये जाने की स्थिति में आवेदन धारा 5 अस्वीकार कर अपील खारिज होगी और ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचार की आवश्यकता नही रहती है। हस्तगत अपीलों में जानकारी एवं जानकारी के अनेक दिवसों के विलम्ब के बाद अपीले पेश करना बताया गया है। आवेदन में अंकित कथन पूरी तरह असद्भाविक है और विशेष ध्यान योग्य तथ्य यह भी है कि इस अपील में धारा 5 के आवेदन के समर्थन में अपीलार्थी भगवती प्रसाद का कोई शपथ पत्र तक नहीं है, तब इन आधारहीन कथनों की शपथ पत्र के अभाव में पुष्टि भी नहीं हुई है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार कर अपील खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत अपील करीब 15 साल विलम्ब व दूसरी अपील सं. 19/2019 इससे अधिक 22 साल विलम्ब से पेश हुई है। युक्ति संगत कारण के अभाव में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन डिक्री दिनांक 31.03.1997 को पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील अपीलांट मियाद पर खारिज की जाने योग्य है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 17(2010) पेज 289, सी.टी. (एस.सी.) 2010(2) पेज 462, आरआरटी 2007(2) पेज 778 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट 1 लगायत 4 के पिता कन्हैयालाल ने एक वाद उद्घोषणा व संशोधित खाता बाबत भूमि खसरा नम्बर 478 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

दोनों अपीले मियाद बाहर होना एक प्रमाणित तथ्य है। आदेश 41 नियम 3 ए के अनुसार अपील पर गुणावगुण पर सुनवाई से पूर्व धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अर्थात मियाद के बिन्दु का निस्तारण आवश्यक है। अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विलम्ब से पेश करने का संतोषजनक व पर्याप्त कारण नहीं बताये जाने की स्थिति में आवेदन धारा 5 अस्वीकार कर अपील खारिज होगी और ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचार की आवश्यकता नही रहती है।

प्रस्तुत अपीलों में जानकारी एवं जानकारी के अनेक दिवसों के विलम्ब के बाद अपीले पेश करना बताया गया है। आवेदन में अंकित कथन पूरी तरह असद्भाविक है और विशेष ध्यान योग्य तथ्य यह भी है कि इस अपील में धारा 5 के आवेदन के समर्थन में अपीलार्थी भगवती प्रसाद का कोई शपथ पत्र तक नहीं है, तब इन आधारहीन कथनों की शपथ पत्र के अभाव में पुष्टि भी नहीं हुई है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार कर अपील खारिज किये जाने योग्य है। प्रथम अपील करीब 15 साल विलम्ब व दूसरी अपील सं. 19/2019 इससे अधिक 22 साल विलम्ब से पेश हुई है। युक्ति संगत कारण के अभाव में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के अंकन, गिरदावरी में काश्त का अंकन एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर कब्जे काश्त का निर्धारण कर विचाराधीन डिक्री पारित की है। प्रस्तुत अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद के बिन्दू का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर